



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

विवाह संस्था और विवाह—विच्छेद: भारत में बदलते प्रतिमान

डॉ कौशलेंद्र विक्रम सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर—समाजशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय पिहानी, हरदोई।

डॉ दयाल शरन, असिस्टेंट प्रोफेसर—समाजशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय पिहानी, हरदोई।

सारांश

विवाह भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। आधुनिकीकरण के साथ ही सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों ने विवाह संस्था को नई चुनौतियों और परिवर्तनों की ओर अग्रसर किया है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, स्त्री शिक्षा और रोजगार में बढ़ती स्त्रियों की भागीदारी के कारण महिलाओं में पितृसत्ता के विरुद्ध वैचारिक उभार आया है। व्यक्तिगत अधिकारों की अभिव्यक्ति और विधिक प्रावधानों के विस्तार ने विवाह को अब एक अनुबंध की भाँति बना दिया है, जिसमें स्वतंत्र इच्छा को प्रधानता दी जा रही है। इस शोधपत्र में विवाह संस्था के पारंपरिक स्वरूप एवं मूल्यों की विवेचना करते हुए भारत में विवाह के स्वरूप में हो रहे परिवर्तनों और विवाह विच्छेद की बदलती प्रवृत्तियों तथा उनके कारणों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

कूट शब्द: विवाह, भारतीय समाज, पितृसत्ता, विवाह—विच्छेद, प्रतिमान।

प्रस्तावना—

भारतीय समाज का संगठन अनूठा है। सामाजिक गतिविधियों को सुचारु रूप से निर्बाध संचालित करने के लिए इसे बड़े ही खूबसूरती से धर्म और संस्कार से जोड़ दिया गया है। हिन्दू समाज में विवाह का उद्देश्य स्त्री और पुरुष के बीच मात्र यौन संबंधों को वैधानिकता प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि यह धार्मिक कृत्य है। यह सोलह संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। परम्परागत हिन्दू विवाह का उद्देश्य क्रमशः धर्म, प्रजा और रति है। आधुनिकीकरण एवं विधिक सुधारों के बाद परिवर्तनशील विवाह संस्था आज भी धार्मिक कृत्य के रूप में स्थापित है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विवाह महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, जो हमें जीवन के मूल्यों को सिखाती है। यह दो विपरीत लिंग के व्यक्तियों को जीवन भर के लिए जोड़ती है। यह दो संस्कृतियों, दो परिवारों का संगम है। भारत में कई प्रकार की विवाह प्रणाली प्रचलन में हैं। सभी के रीति—रिवाज और परम्पराएँ एक—दूसरे से भिन्न हैं। उत्तर भारतीय विवाह दक्षिण भारतीय विवाह से भिन्न हैं। बदलते परिवेश के साथ विवाह संस्था भी बदल रही है। अब विवाह अटूट सम्बन्ध नहीं रह गया है। बढ़ते स्त्री अधिकारों से स्त्रियाँ बराबरी का दावा करने लगी हैं, जो समानता और सामाजिक न्याय के दृष्टिगत उचित भी है। परम्परागत पितृसत्ता को अब चुनौती मिल रही है। स्त्री—पुरुष में अनबन अब घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर न्यायालय तक पहुँचने लगे हैं। दम्पति तलाक का निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि उनमें विश्वास के मुद्दे नहीं हैं। कुछ दम्पति शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार के दुखद अनुभव को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि भारत में तलाक बढ़ रहे हैं।

अध्ययन के उद्देश्य—

- 1—वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य भारत में विवाह संस्था और विवाह विच्छेद के बढ़ते मामलों के अध्ययन को समझना।
- 2— इस अध्ययन में विवाह प्रणाली की जनसांख्यिकीय विशेषताओं का विश्लेषण करने और अध्ययन में शामिल विवाह विच्छेद के बढ़ते मामलों के अध्ययन का प्रयास किया गया है।
- 3— भारत में विवाह व्यवस्था और विवाह विच्छेद प्रणाली के उदय के अध्ययन का आकलन करना।
- 4— विवाह के बदलते पैटर्न के संबंध, जिसके कारण विवाह विच्छेद के मामले बढ़ रहे हैं, के सम्बन्ध में विवाह संस्था को समझना।

शोध पद्धति —

अन्वेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। अध्ययन के लिए डेटा द्वितीयक स्रोतों से एकत्र किया गया है। शोधार्थी ने प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध ग्रंथों, शोध पत्रों और समाचार पत्रों के लेखों को अध्ययन में शामिल किया है।

विवाह की पृष्ठभूमि—

विवाह मूलभूत सामाजिक संस्था है। विवाह न केवल स्त्री-पुरुष के बीच यौन सम्बन्धों की अनुमति प्रदान करता है, बल्कि इससे उत्पन्न बच्चों को वैधता भी प्रदान करता है। विवाह को समाजशास्त्रियों ने एक सामाजिक संस्था, अनुबंध, संस्कार, और सामाजिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में देखा है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित और विश्लेषित किया है—

वेस्टरमार्क की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज (1891) के अनुसार विवाह का मूल उद्देश्य संतान की सुरक्षा और सामाजिकता था। उनके अनुसार विवाह की उत्पत्ति माता-पिता की संतानों के प्रति जिम्मेदारी से हुई। मॉर्गन ने विवाह की उत्पत्ति को समाज के विकास के विभिन्न चरणों से जोड़ा, विशेष रूप से उन्होंने गणों और जातियों की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया। उनके अनुसार विवाह का प्रारंभ समूह विवाह से हुआ और यह धीरे-धीरे एक विवाह की ओर बढ़ा। मालिनोवस्की ने विवाह की उत्पत्ति को प्राकृतिक यौन आकर्षण की सामाजिक स्वीकृति के रूप में माना है।

विवाह की उत्पत्ति पर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। कुछ समाजशास्त्री इसे जैविक और यौन व्यवहार के नियंत्रण के रूप में देखते हैं, तो कुछ इसे सामाजिक संरचना, प्रजनन, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से जोड़ते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि विवाह केवल एक निजी या यौनिक संबंध नहीं है, बल्कि यह एक गूढ़ सामाजिक संस्था है जो समाज के विकास के साथ-साथ विकसित हुई है।

हिंदू विवाह के प्रकार—

परम्परागत हिंदू सामाजिक संगठन में विवाह केवल सामाजिक अनुबंध ही नहीं, बल्कि एक पवित्र संस्कार है। यह सप्तविध (सात प्रकार) विवाहों की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, जिसका वर्णन मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में विस्तृत रूप से मिलता है।

मनुस्मृति में मनु ने विवाह के आठ प्रकारों का उल्लेख किया है, जिनमें चार को श्रेष्ठ और चार को निंदनीय माना गया है। यह निम्नलिखित हैं—

1. ब्राह्म विवाह— जब वधू का पिता अपनी कन्या को, योग्य वर को, उसकी विद्या और शील के आधार दानस्वरूप प्रदान करता है। इसमें दहेज या वर मूल्य नहीं होता है। इस विवाह को सबसे पवित्र और वैदिक विवाह माना गया है।

2. दैव विवाह— जब कन्या को यज्ञ करने वाले ऋषि को दानस्वरूप दिया जाए।
 3. आर्ष विवाह—जब वर, कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल आदि प्रतीकात्मक वस्तुएँ प्रदान करता है।
 4. प्रजापत्य विवाह— इस विवाह में वधू का पिता, वर से यह कहकर कन्या का दान करता है कि धर्मपूर्वक पत्नी का पालन करना।
 5. गंधर्व विवाह— यह प्रेमविवाह का ही स्वरूप है। जब युवक और युवती अपनी इच्छा से जीवन साथी का चुनाव करते हैं और विवाह करते हैं।
 6. असुर विवाह— जब वर कन्या के पिता को धन देकर कन्या का क्रय करता है।
 7. राक्षस विवाह— जब युद्ध में कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह किया जाता है।
 8. पैशाच विवाह— यह सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह है। जब कन्या की इच्छा के विरुद्ध, उसे बेहोशी या नशे की अवस्था में यौन सम्बन्ध बनाकर विवाह कर लिया जाता है।
- उपर्युक्त में से पहले चार विवाह मान्य हैं जबकि अन्य चार विवाह अमान्य हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम 1955—

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 भारत सरकार द्वारा पारित चार प्रमुख हिंदू व्यक्तिगत विधियों में से एक है, जो विशेष रूप से हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों पर लागू होता है। इस अधिनियम ने हिंदू विवाह को एक वैधानिक अनुबंध का दर्जा दिया, जिसमें कुछ निश्चित शर्तें, अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं।

मुख्य उद्देश्य—

- 1—विवाह को पंजीकृत और वैधानिक स्वरूप देना।
- 2—बहुविवाह पर रोक लगाना।
- 3—विवाह विच्छेद की वैधानिक प्रक्रिया निर्धारित करना।
- 4—दांपत्य अधिकारों का संरक्षण।
- 5—स्त्रियों के अधिकारों को सुनिश्चित करना।

हिंदू विवाह अधिनियम— 1955 की प्रमुख धाराएँ—

- धारा 2—अधिनियम की प्रयोज्यता— हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख।
- धारा 5—विवाह की शर्तें —सहमति, आयु (21 पुरुष, 18 महिला), एकविवाहिता, मानसिक स्वास्थ्य आदि।
- धारा 7—विवाह की विधि— वैदिक रीति से या प्रचलित रीति से विवाह।
- धारा 8—विवाह का पंजीकरण— राज्य सरकारें नियम बनाकर पंजीकरण सुनिश्चित करें।
- धारा 9—दांपत्य अधिकारों की पुनःस्थापना (Restitution of Conjugal Right)।
- धारा 10—न्यायिक पृथक्करण (Judicial Separation)।
- धारा 11—शून्य विवाह (Void Marriage) — जैसे द्विविवाह।
- धारा 12—शून्यकरणीय विवाह (Voidable Marriage) — जैसे धोखाधड़ी, असहमति।
- धारा 13—विवाह विच्छेद (Divorce) के आधार — क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार, धर्म-परिवर्तन, मानसिक विकृति आदि।
- धारा 13B—आपसी सहमति से तलाक (Mutual Consent Divorce)।
- धारा 14—24 तलाक की प्रक्रिया, गुजारा भत्ता, भरण-पोषण आदि।

भारत में विवाह के बदलते प्रतिमान—

विवाह भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। यह केवल व्यक्ति के जीवन को दिशा देती ही नहीं देती, बल्कि सामाजिक संरचना और संस्कृति को स्थायित्व और निरंतरता भी प्रदान करती है। पिछले कुछ दशकों में आधुनिकता, शहरीकरण, वैश्वीकरण, शिक्षा, तकनीकी विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे कारकों के कारण भारतीय विवाह व्यवस्था में अनेक परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं। भारतीय समाज में विवाह के विषय में सामूहिक निर्णय होता था, जिसमें माता-पिता, वृद्धजन और जातीय समुदाय की निर्णायक भूमिका होती थी। विवाह को एक सामाजिक दायित्व माना जाता था। विवाह संस्था अब अनेक बदलाओं से गुजर रही है। प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं—

- 1— शिक्षा और शहरीकरण के प्रभाव से जाति की दीवारें कुछ हद तक टूटी हैं। युवाओं में अपनी पसंद से विवाह करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे अंतरजातीय और अंतर्धार्मिक विवाहों में वृद्धि देखी गई है।
- 2—प्रेम विवाह पहले अपवाद था, अब धीरे-धीरे महानगरों और शिक्षित वर्ग में सामान्य सामाजिक अनुभव बनता जा रहा है।
- 3—विवाह में अब पारिवारिक सहमति के साथ-साथ व्यक्तिगत इच्छाओं को भी महत्व दिया जाने लगा है। युवा स्वयं जीवनसाथी का चयन करने लगे हैं।
- 4— धारा 377 को निरस्त किए जाने के बाद भारत में समलैंगिक विवाह को लेकर विमर्श और सामाजिक स्वीकार्यता में वृद्धि हुई है, यद्यपि अभी भी यह सीमित है।
- 5— तलाक में वृद्धि और पुनर्विवाह— विवाह को अब अटूट बंधन की बजाय एक समझौते के रूप में देखा जा रहा है। महिला सशक्तिकरण और कानूनी सुरक्षा से तलाक में वृद्धि हुई है। पुनर्विवाह और विधवा पुनर्विवाह को अब सामाजिक स्वीकृति मिलने लगी है।

न्यायालय द्वारा लिव-इन रिलेशनशिप और समान-लैंगिक विवाह की वैधानिक स्वीकृति मिलने से विवाह की नवीन प्रवृत्ति भी दिखने लगी है, यद्यपि अभी भी इसके मामले सीमित हैं। योगेंद्र सिंह के अनुसार, भारत में आधुनिकीकरण ने पारंपरिक सामाजिक संस्थाओं को पुनर्संरचना की प्रक्रिया में ढाल दिया है, जहाँ विवाह अब केवल परंपरा नहीं, बल्कि व्यक्तिगत चयन का क्षेत्र बन गया है।

विवाह विच्छेद की बढ़ती प्रवृत्ति—

भारतीय समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना गया है। यह मात्र एक व्यक्तिगत समझौता नहीं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व के रूप में देखा गया है। आधुनिक काल में विवाह संस्था में परिवर्तन हुआ है। विवाह विच्छेद को पहले सही नहीं माना जाता था। तलाकशुदा स्त्री या पुरुष को समाज में सम्मानित नजर से नहीं देखा जाता था। अब उच्च वर्ग और उच्च मध्यवर्ग में विवाह विच्छेद को सामाजिक स्वीकृति मिल रही है।

आधुनिक भारत में विवाह संस्था में कई परिवर्तन आए हैं। शिक्षा, शहरीकरण, महिला सशक्तिकरण, और आर्थिक स्वतंत्रता ने विवाह को एक संस्कार की बजाए संविदा के रूप में परिभाषित करना प्रारंभ कर दिया है। उच्च वर्गों में विवाह, स्त्री और पुरुष के बीच एक ऐसे संबंध के रूप में परिवर्तित हो रहा है, जिसमें यह स्वीकार किया जाता है कि आपसी मनमुटाव या विचारों में असहमति होने की स्थिति में आपसी संबंधों को खत्म किया जा सकता है। स्त्रियाँ अब विवाह को अपने आत्मनिर्भर अस्तित्व के विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं करती, बल्कि जीवन के एक सहयोगात्मक संबंध के रूप में मानती हैं।

भारत में विवाह विच्छेद की घटनाएँ ऐतिहासिक रूप से कम रही हैं, विशेषतः ग्रामीण और पारंपरिक क्षेत्रों में इसके आंकड़े सीमित हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्रों, विशेष रूप से उच्च और उच्च मध्यवर्ग में, विवाह विच्छेद की घटनाओं में वृद्धि हुई है। धीरे-धीरे विवाह विच्छेद अब केवल असफल वैवाहिक जीवन से मुक्ति के रूप में देखा जाना लगा है। स्त्रियों की शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, और वैवाहिक असंतोष को खुलकर व्यक्त करने की भावना, इसके पीछे मूल कारण कारण है।

विवाह विच्छेद के प्रमुख कारण –

संचारहीनता और भावनात्मक दूरी, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा, आर्थिक तनाव और करियर प्राथमिकताओं में टकराव, सास-बहू या संयुक्त परिवार में तनाव, लैंगिक भूमिकाओं की पारंपरिक अपेक्षाओं और स्त्री अधिकारों में विरोधाभास, पितृसत्ता को चुनौती आदि विवाह विच्छेद के प्रमुख कारण हैं।

लीला दुबे के अनुसार स्त्रियाँ पारंपरिक विवाह व्यवस्था में पुरुषों के अधीन थीं, अब वे इस अधीनता को अस्वीकार करती हैं, जिसके कारण आपसी मतभेदों की परिणति विवाह विच्छेद के रूप में होती है।

1955 का हिंदू विवाह अधिनियम और 1954 का विशेष विवाह अधिनियम, ने विवाह-विच्छेद के लिए कानूनी आधार प्रस्तुत किया है। जिसमें विवाह-विच्छेद के लिए क्रूरता, परित्याग, विवाहेतर संबंध, मानसिक विकार आदि आधार प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुस्लिम महिलाओं को 2019 के अधिनियम द्वारा एक तरफा तीन तलाक से सुरक्षा दी गई। जिसके कारण मुस्लिम स्त्रियों के अधिकारों में भी वृद्धि हुई है।

सोशल मीडिया और विवाह विच्छेद–

सोशल मीडिया ने भारत में दाम्पत्य सम्बन्ध को प्रभावित किया है, जिससे सबूत जुटाने और दावों को पुष्ट करने के नए रास्ते उपलब्ध हुए हैं। जैसे-जैसे सोशल मीडिया दैनिक जीवन में अपरिहार्य होता जा रहा है, विवाह विच्छेद सहित कानूनी प्रक्रियाओं पर इसका प्रभाव बढ़ने की संभावना है।

भारत में तलाक का बढ़ता चलन: बदलता सामाजिक नजरिया शीर्षक से सुभाष भास्करन नैयर ने 19 मार्च 2025 लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि आधुनिक तलाक के मामलों में सबसे बड़ी चिंताओं में से एक सोशल मीडिया की भूमिका है। कई जोड़े अपने अलगाव के प्रमुख कारणों के रूप में सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, ऑनलाइन संबंध और गोपनीयता की कमी का हवाला देते हैं। संदिग्ध पति-पत्नी अक्सर अपने साथी की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग करते हैं, जिससे टकराव होता है और कुछ मामलों में कानूनी लड़ाई भी होती है। भारतीय न्यायालयों में, बेवफाई, घरेलू दुर्व्यवहार और वित्तीय कुप्रबंधन को साबित करने के लिए डिजिटल साक्ष्य का उपयोग तेजी से किया जा रहा है। न्यायालयों ने व्हाट्सएप संदेश, फेसबुक पोस्ट और यहां तक कि जीपीएस स्थानों को भी स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। यह बदलाव इस बात पर प्रकाश डालता है कि आधुनिक विवाहों में प्रौद्योगिकी किस तरह रचनात्मक और विनाशकारी दोनों भूमिका निभा रही है। तलाक के मामलों में प्रौद्योगिकी का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव ऑनलाइन कानूनी सहायता है। कई कानूनी फर्म और स्वतंत्र कानूनी सलाहकार अब आभासी परामर्श प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्तियों के लिए सामाजिक जांच के बिना कानूनी सलाह लेना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म जोड़ों को लंबी अदालती लड़ाई के बिना सौहार्दपूर्ण ढंग से तलाक की कार्यवाही निपटाने में मदद कर रहे हैं।

निष्कर्ष–

भारत में विवाह संस्था एक परिवर्तनशील सामाजिक संस्था के रूप में उभर रही है। जहाँ एक ओर विवाह को अभी भी पारंपरिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, वहीं दूसरी ओर नवीन सामाजिक मूल्य, स्वतंत्रता, समानता और स्त्री अधिकारों में वृद्धि, सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने इस संस्था को पुनर्परिभाषित किया है। विवाह-विच्छेद अब एक असफलता नहीं, बल्कि व्यक्तिगत गरिमा और मानसिक शांति का अधिकार बन गया है। स्त्रियाँ अब आत्मनिर्भर हो रही हैं, जिसके कारण पारिवारिक श्रम विभाजन में बदलाव हो रहा है। वे पितृतंत्र को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, वहीं दूसरी ओर पुरुष पितृतंत्र के दंभ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। सोशल मीडिया का बढ़ता प्रयोग भी दाम्पत्य जीवन को अस्थिर कर रहा है। अब यह आधुनिक जीवनशैली का अनिवार्य अंग बन चुका है, परंतु इसके अनियंत्रित उपयोग से

वैवाहिक जीवन में तनाव, अविश्वास और अलगाव की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आभासी संवाद, और गोपनीयता का उल्लंघन जैसी स्थितियाँ परिवार संस्था को संकट में डाल रही हैं।

भारत में हाल के वर्षों में तलाक के मामलों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण सोशल मीडिया पर व्यतीत समय, ऑनलाइन अफेयर और साथी पर निगरानी की प्रवृत्ति है। इसलिए यह आवश्यक है कि वैवाहिक जीवन में डिजिटल अनुशासन, पारदर्शिता और साइबर नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए, ताकि विवाह संस्था सामाजिक स्थिरता की आधारशिला बनी रहे।

संदर्भ सूची

- Altekar, A.S. (1959). The Position of Women in Hindu Civilization
- Betei, Andre (1992). Society and Politics in India: Essays in a Comparative Perspective. Oxford University Press.
- Derrett, J.D.M. (1970). Introduction to Modern Hindu Law
- Desai, A.R. (1975). The Social Background of Indian Nationalism. Popular Prakashan.
- Dube, Leela (1988). On the Construction of Gender: Hindu Girls in Patrilineal India. Economic and Political Weekly, Vol. 23, No. 18.
- Kane, P.V. (1941). History of Dharmaśāstra (Vol. II)
- Malinowski, B. (1929). The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia. London: Routledge.
- Manusmriti – Chapter 3, Shlok 20–34
- Morgan, L.H. (1877). Ancient Society. New York: Henry Holt & Co.
- Singh, Yogendra (1973). Modernization of Indian Tradition: A Systemic Study of Social Change. Thomson Press.
- Srinivas, M.N. (1966). Social Change in Modern India. University of California Press.
- Westermarck, E. (1891). The History of Human Marriage. London: Macmillan.
- Hindu Marriage Act, 1955 (Bare Act)
- <https://egyankosh.ac.in/handle/123456789/66088>
- <https://www.vkeel.com/legal-blog/the-impact-of-social-media-on-divorce-proceedings-in-india>
- <https://www.linkedin.com/pulse/rise-divorce-india-changing-societal-attitudes-nair-suznc>